

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

10

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

अपकाधिकारी
कपकोट

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

श्रीमान् रामसिंह आर्य
सहाय - जयवाट

14AA 157614

ब्राह्मण पत्र
मैं कि राम सिंह उम्हू अचरु पुत्र की कुत्राला में
मिनामी - जाम - कठान पर्व - भाड़ी लह - जयवाट नि
गिरेवर बलि ब्राह्मण पुत्रक जयवाट जयवाट है।
की उम्ह ब्राह्मण पत्र की पत्र - 1 लगायत 2 रुपये
समी कतंग मेरे द्वारा समी लहय मन्त्र मेरे गये है।
द्वयमे मेरे द्वारा उम्ह मे ली द्विपायगया है। लह
जयवाट मे भान मन्त्र होग जोषित जयवाट है।

स्वात - जयवाट
दि - 6/1/12

रामसिंह
ह. ब्राह्मण



6/1/2012
A. & B. SHARMA
Notary Public
JAYWAT INDIA

प्ररूप 26
(नियम 4 क देखिए)

46 जयपुर निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

वि०स० वि० जयपुर (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

मैं राज सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. राजलाल आयु 34 वर्ष, जो गाम -
देवाण की/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिक्षा करता हूँ/करती हूँ/
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

(यदि अभिशासी ऐसे किसी अपराध/अपराधों का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी।)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....X.....
(ii) पुलिस थाना (थाने).....X.....जिला (जिले).....राज्य.....
(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....X.....
(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....X.....
(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किए गए थे.....X.....
(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.....X.....

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....X.....
(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है.....X.....
(iii) पुलिस थाना (थाने).....X.....जिला (जिले).....राज्य.....X.....
(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....X.....
(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....X.....
(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है.....X.....

स्थान-
तारीख-

जयपुर
11/11/2012



राज सिंह
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

रहो जयपुर स्थान पर आज तारीख 6/11/12 को सत्यापित किया।



टिप्पणी: इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

4 राज सिंह
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

6/11/12

Notary Public
M. S. DEBARANSHASTRI
Notary Public
JAIPUR, INDIA